

1439

## कायालिय नगर निगम कटिहार

(SAS FORM)

## स्व-कर निर्धारण प्रणाली प्रपत्र

{ बिहार में नगर पालिकाओं के लिए स्व-गूल्यांकन संपत्ति कर/रिक्त गूमिकर के लिए प्रपत्र }

नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत :- लागु स. निगम कटिहार

अंचल (यदि हो) :- कटिहार

हिस्तांकित(\*) फैल्ड में सूचना देना अनिवार्य हैं]

1. आकलन का वर्ष\* 20..... - 20.....
2. नया होल्डिंग संख्या\* .....  
(यदि नगरपालिका द्वारा आवंटित हो)
3. वार्ड संख्या\* .....  
राजस्व अंचल संख्या\* .....
4. युनिक्संपत्ति पहचान संख्या (पी.आई.डी.)  
(यदि नगरपालिका द्वारा आवंटित हो)
5. स्वामित्व का प्रकार\* (कृपया अनुलग्नक खंड क- 1 देखें) .....
6. स्वामित्व का विवरण\* (यदि एक ही संपत्ति के चार से अधिक मालिक हों तो कृपया अनुलग्नक संलग्न करें)

नाम/कंपनी का नाम/संस्था आदि	पिता/पति का नाम/ पैनकार्ड संख्या	लिंग(पु./स्त्री)

7. संपत्ति की स्थिति\* : भवन/फ्लैट  रिक्त भूमि  मिश्रित(रिक्त भूमि + भवन)   
(जो लागु हो कृपया उसे चिह्नित करें)
8. वर्षा जल संचयन की सुविधा उपलब्धता\* : हाँ  नहीं   
(यदि भूमि आपकी अपनी नहीं हो तो लागु नहीं)
9. सम्पत्ति का विवरण\*

टोड जिस पर स्थित है (कृपया अनुलग्नक देखें और जो लागु हो कृपया उसे चिह्नित करें)	प्रधान मुख्य सड़क <input type="checkbox"/> मुख्य सड़क <input type="checkbox"/> अन्य सड़क <input type="checkbox"/>
--	---

उपयोग का प्रकार (जो लागु हो कृपया उसे चिह्नित करें)	पुर्णतः आवासीय <input type="checkbox"/> आंशिक आवासीय और आंशिक वाणिज्यिक या औद्योगिक <input type="checkbox"/>	पुर्णतः वाणिज्यिक या औद्योगिक <input type="checkbox"/> अन्य (कृपया अनुलग्नक ॥। देखें) <input type="checkbox"/>
---	---	--

अधिग्रहण/संपत्ति के निर्माण का वर्ष	
मकान नंबर	
पता	
पिन कोड	

स्व-कर निधारण प्रणाली प्रपञ्च संख्या :-

10. पत्राचार का पता (यदि उपरोक्त दिए गए पते से मिल हो)

मकान नंबर	
पता	
पिन कोड	

- ## 11. संपर्क का विवरण

मोबाइल नंबर*		टेलीफोन नंबर	
ई.मेल			

12. भूखंड/भूमि का विवरण (अगर आप केवल एक फ्लैट के रूप में बनाया भाग या इमारत की एक मंजिल का स्थानित्व वाले ही हो तथा आपके पास भूमि का स्थानित्वन तो, कृपया क्रमांक 13 में विवरण दर्ज करें)\*

12A	स्लॉट / भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	
12B	नियंत्रित क्षेत्र / भूतल पर निर्माण (वर्ग फुट में)	
12C	नियंत्रित क्षेत्र प्रतिशत में = $(12B / 12A) \times 100$	

**नोट:** यदि 12C, 70% से अधिक या बराबर हो तो क्रमांक 13 में विवरण दर्ज करें अन्यथा 12 में विवरण दर्ज करें।

$$12D \text{ कर योग्य रिक्त भूमि (वर्ग फुट में) = } (12A - (12B \times 1.43))$$

12E रिक्त भूमि कर की दर (अनुलग्नक 1 का खंड 'क' 2 देखें): (रु.)

12F वार्षिक रिक्त भूमि कर (12D x 12E) : (रु.)

13. भवन का विवरण और टैक्स गणना (यदि आवश्यक हो तो अनुलग्नक संलग्न करें) (कृपया सम्पत्ति का विवरण अनुलग्नक के आधार पर प्रदान करें)\*

(प्राजिल संख्या: भूतल 1 = 1 भूतल 2 = .2, निचलातला = 0, प्रथम तल = 1, द्वितीय तल = 2 आदि)

- #### **14. ट्रेस की गणना\***

14A	वार्षिक किटाया मूल्य (ए.आर.वी) (131 का योग)	रु.	
14B	कुल संपत्ति कर (13k का योग)	रु.	
14C	कुल वार्षिक कर ( $12F + 14B$ )	रु.	

14D	छूट (कृपया अनुलग्नक का खंडक 6 देखें)	रु.	
14E	ब्याज / दण्ड (कृपया अनुलग्नक का खंडक 7 देखें)	रु.	
14F	कुल वार्षिक संपत्ति कर (14C - 14D + 14E)	रु.	

15. बकाया राशि का विवरण और उस पर ब्याज/दण्ड\*

वित्तीय वर्ष (15A)	राशि (रु.) (15B)	ब्याज / दण्ड (रु.) (15C)	योग (रु.) (15D)
20.....-20..... से पहले			
20.....-20.....			
20.....-20.....			
20.....-20.....			

16. कुल देय राशि\*

16.1. संपत्ति कर के बजाय सेवा प्रभार (केवल गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किये जा रहे सरकारी सम्पत्तियों के लिए लागू)

16.1A	सेवा प्रभार (14F x 75/100)	रु.	
16.1B	कुल सेवा देय प्रभार (15D का योग + 16.1A)	रु.	
16.1C	कुल सेवा देय प्रभार (15D का योग + 16.1A)	शब्दों में	

16.2. संपत्ति कर (16.1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले संपत्तियों के अलावा अन्य सभी के लिए लागू)

16.2A	कुल संपत्ति कर (14F + 15D का योग)	रु.	
16.2B	कुल संपत्ति कर (14F + 15D का योग)	शब्दों में	

17. मुगतान विवरण\*

18A	मुगतान किया गया (जो लागू हो कृपया उसे चिह्नित करें)	नगरपा लिका	ऑनलाइन	अधिसूचित बैंक	नागरिक सुविधा केंद्र	
18B	मुगतान का तरीका (जो लागू हो कृपया उसे चिह्नित करें)	नकद	चेक	डिमांड ड्राफ्ट	कार्ड/नेट बैंकिंग	
18C	चेक / डिमांड ड्राफ्ट का विवरण	संख्या		दिनांक		
		बैंक		शाखा		
18D	ऑनलाइन मुगतान के लिए	कृपया मुगतान का माध्यम अंकित करें				
		क्रेडिट कार्ड	डेबिट कार्ड	नेट बैंकिंग	कैश कार्ड	
18E	अधिसूचित बैंकों की शाखा में मुगतान के लिए	लेनदेन आईडी		मुगतान की तारीख		
		बैंक का नाम		शाखा		
18F	नागरिक सुविधा केंद्र में मुगतान के लिए	लेनदेन आईडी		मुगतान की तारीख		
		केंद्र का नाम		स्थान		

कर दाता का हस्ताक्षर-

एवं तिथि-

स्व-कर निर्धारण प्रणाली प्रपत्र संख्या :-

**घोषणा:**

मैं / हम घोषणा करता हूँ / हैं कि उपरोक्त जानकारी और संपत्ति कर निर्धारण मेरी/हमारी जानकारी में सही है, तथा मैं / हम बिहार नगर अधिनियम 2007 के संगत प्रावधानों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ / है।

मैं/हम पूरी तरह समझता/समझते हूँ / हैं कि यदि उपर दी गयी कोई जानकारी झूठी पायी गयी तो मैं/हम बिहार सरकार या नगरपालिका द्वारा विहित कानून नियम अथवा विनियम के अंतर्गत दंडात्मक कारवाई या अन्य परिणाम का भागी बनूँगा/बनेंगे ।

**सम्पत्ति-स्वामी / करदाता का नाम .....**

**हस्ताक्षर एवं तिथि .....**

**III. ANNEXER-B वार्षिक कियाया मूल्य की गणना के लिए भेदिक्स्स (एआर्ची) और कर की दर क. इकाई क्षेत्र दर (रु. प्रति वर्ग फुट)**

New ARV						
Type of Construction of Building	Holding at the Principal Main Road			Holding at the Main Road		
	Fully Commercial (Rs. Per Sqft)	Other (Rs. Per Sqft)	Fully Residential (Rs. Per Sqft)	Other (Rs. Per Sqft)	Fully Residential (Rs. Per Sqft)	Holding at other Road
Pucca Building with R.C.C. Roof	33.00	24.00	13.00	24.00	15.00	10.00
Pucca Building with Corrugated Cement Sheet	24.00	15.00	10.00	15.00	9.00	7.00
Other Building	15.00	9.00	7.00	9.00	7.00	5.00

**महत्वपूर्ण टिप्पणी:**

- वैसे मामलों में जहां इमारत को आशिक रूप से आवासीय और आशिक रूप से बाणिज्यिक या अद्वैतिक उपयोग में लिया जाता है, इन दोनों उपयोग के लिए वास्तविक लम्ब में इस्तेशाल में लाये जाने वाले क्षेत्र पर अला से विभिन्न उपयोगों के लिए निर्धारित दर के हिसाब से कर लगाया जाएगा।
- ‘दूसरे’ के अंतर्गत होन्हिंस के उपयोग में शामिल होगा
  - राज्य और केंद्र सरकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और इमारतों के अलावा उनके कार्यालय
  - सरकार द्वारा संचालित लकड़ी, अस्पताल और स्थानीय सेवा केंद्र
  - शैक्षिक और सामाजिक वैतिनेक दृस्त द्वारा कोई लाभ- कोई नुकसान नहीं के आधार पर गरीबों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों की भलाई एवं शाहिदाओं और बच्चों के सामाजिक सुरक्षा के लिए बलावें जाने वाले संस्थान

ख. कर का दर

समेकित वार्षिक कर दर ARV (वार्षिक मूल्यांकन) का 9%

अनुलानक

निकाय का नाम: नगर निगम, कटिहार ।

### सड़कों का वर्गीकरण (संशोधित)

(क) प्रधान मुख्य सड़क (सड़क के दोनों किनारे अवस्थित 100 मीटर की दूरी तक अवस्थित सभी भवन।)

क्र०सं०	सड़क का नाम
01	शहीद चौक (मंगल बाजार से सुभाष चन्द्र बोस पथ, ली रोड होते हुए पुराना बाटा चौक जो अबूल कलाम चौक के नाम से प्रसिद्ध है।
02	सिटी बुकिंग से राजेन्द्र पथ में दुर्गास्थान चौक होते हुए महमूद चौक तक तथा हरदयाल चौक से पानी टंकी चौक तक रामकृष्ण भिशन रोड में।
03	शहीद चौक से महात्मा गांधी पथ में गल्स्ट स्कूल रोड होते हुए राजेन्द्र पथ, राजेन्द्र पथ से सिटी बुकिंग होते हुए इयामा टॉकिंज रोड होते हुए शहीद चौक तक के बीच पढ़ने वाले सभी भवन।
04	शहीद चौक से महात्मा गांधी पथ, पटेल चौक होते हुए से महमूद चौक तक।
05	पटेल चौक से दुर्गास्थान चौक होते हुए भगवान चौक।
06	दौलत राम चौक से शिवमंदिर चौक होते हुए अरगड़ा चौक से झुलनियाँ मोड़ तक।
07	पुराना पोस्ट ऑफिस चौक से बिनोदपुर होते हुए काली बाड़ी चौक, काली बाड़ी चौक से शहीद चौक तक।
08	मिरचाईबाड़ी चौक से अम्बेदकर चौक, भेरिया रहिका होते हेतु मेडिकल कॉलेज तक।
09	मिरचाईबाड़ी चौक से कोलासी रोड में अंचल कार्यालय के मुख्य गेट होते हुए चमरिया कॉलेज तक।
10	मिरचाईबाड़ी मनिहारी मोड़ से बरमसिया ललियाही, गौशाला होते हुए उदामारहिका तक।

(ख) मुख्य सड़क (सड़क के दोनों किनारे 50 मीटर दूरी तक पड़नेवाले सभी भवन।)

क्र०सं०	सड़क का नाम
01	मिरचाईबाड़ी चौक से (स्व० भरत भूषण पासवान चौक) फूटानी चौक।
02	पी०एन०टी० चौक से रेलवे क्षेत्र तक (पूराना) बस-पड़ाव की ओर।
03	झुलनियाँ मोड़ से आगे नाका से हवामहल तक।
04	शरीफगंज (हवाईअड्डा) चौक से हवाईअड्डा तक तथा शरीफगंज (हवाईअड्डा चौक) से गड़ीघाट रोड में सेमापुर सड़क मोड़ तक।
05	झुलनियाँ मोड़ से आजाद चौक डहेरिया तक।
06	अरगड़ा चौक से नया जूट मिल तक।
07	अरगड़ा चौक से महिला कॉलेज होते हुए कालीबाड़ी से शिवमंदिर चौक रोड तक।
08	अरगड़ा चौक से जी-सॉप फैक्ट्री चौक तक।
09	शिवमंदिर चौक से महमूद चौक तक।
10	शिवमंदिर चौक से महावीर मंदिर चौक होते हुए बाजार समिति रोड तक।
11	पटेल चौक से तीनगठिया चौक होते हुए मनिहारी रोड तक।
12	बी०जी०गेट छीटाबाड़ी होते हुए चन्द्रमा चौक होते हुए पूर्णियाँ रोड तक।

(ग) अन्य सड़क

प्रधान सड़क और मुख्य सड़क के अतिरिक्त सभी सड़कों को अन्य सड़क समझा जाय।

क्र०सं०	सड़क का नाम
01	सड़क (क) एवं (ख) से अलग सभी सड़क एवं गली में अवस्थित भवन (मुहल्ला के भीतर का भवन) को अन्य सड़क समझा जाय।

## नगर निकाय का नाम - नगर निगम कट्टहार

अनुलग्नक-3

### स्व-कर मूल्यांकन प्रपत्र का अनुलग्नक (नगर निकाय का नाम)

#### 1. स्व-कर मूल्यांकन प्रपत्र का अनुलग्नक।

##### क 1. स्वामित्व का प्रकार (Type of Ownership)

एकल स्वामित्व	साझेदारी फर्म	मंडल	सरकारी संस्था	सार्वजनिक कम्पनी
सेशुक्त स्वामित्व	निजी फर्म	संस्थान	प्राधिकरण	निजी कम्पनी
इस्ट	गैर सरकारी संस्था	सरकारी संस्था	एच यु एफ (हिंदू अधिभाजित परिवार)	अन्य

##### क 2. स्वाली जमीन कर की दर (दर रूपया प्रति वर्ग मीटर)

क्र.सं.	नगर निकाय का प्रकार	प्रधान मुख्य सड़क	मुख्य सड़क	अन्य सड़क
1.	नगर निगम	5	4	3
2.	नगर परिषद	4	3	2
3.	नगर पंचायत	3	2	1

##### स्वाली जमीन कर की दर (प्रति वर्ग फीट में)

क्र.सं.	नगर निकायों का प्रकार	प्रधान मुख्य सड़क	मुख्य सड़क	अन्य सड़क
1.	नगर निगम	0.46	0.37	0.28
2.	नगर परिषद	0.36	0.28	0.19
3.	नगर पंचायत	0.28	0.19	0.11

##### क 3. अधिभोगगुणक

क्र.सं.	अधिभोग का प्रकार	गुणात्मक कारक
1.	स्व - अधिभोग हेतु	1
2.	किराये के अधिभोग हेतु	1.5

##### क 4. होलिडंग/सम्पत्तियों के कर योग्य क्षेत्र की गणना

होलिडंग की वार्षिक किराये मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप में संगणित की जायेगी :-

- (i) वैयक्तिक आवासीय सम्पत्ति-संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत
- (ii) वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति- संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत
- (iii) वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट-संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत
- (iv) वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट-संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत
- (v) पेट्रोल पंप के मामले में, जमीन के अन्दर के भंडारण क्षेत्र-आंतरिक आयाम का 100 प्रतिशत

## क 5. गैर-आवासीय उपयोग के कारक

बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर निर्धारण, संग्रहण एवं वसुली नियमावली 2013 के

नियम - 4 में 1 से 12 उपयोग आई.डी. में से 8 एवं 10 उपयोग आई.डी.।

उपयोग आई.	अधिभोग का प्रकार	गुणक
8.	राज्य और केन्द्र सरकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उपक्रमों के अलावा अन्य कार्यालयों	1
10.	आध्यात्मिक और धार्मिक प्रकृति के स्थान, केंद्र।	0

नोट :-

- नियम 4 के श्रेणी 8 के मामले में, सम्पत्ति कर के स्थान पर सेवा प्रभार देय होगा, जो संपत्ति कर के 75% के बराबर होगा।
- नियम 4 के श्रेणी 10 जो पूर्णतः धार्मिक उद्देश्यों हेतु उपयोग में लायी जा रही है। वह सम्पत्ति कर से पूर्णतः मुक्त होगा।
- बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर निर्धारण संग्रहण एवं वसुली नियमावली 2013 के नियम 4 के (8 एवं 10 उपयोग आई.डी. को छोड़कर) सभी उपयोग आई.डी. प्रावधानों पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावी माना जायगा।

## क 6. छूट

- वैसे सभी संरचनाओं में, जो बारिश के पानी के संरक्षण प्रौद्योगिकी / सुविधा द्वारा पानी का उपयोग करता है, कुल देय सम्पत्ति कर पर 5 (पांच) % छूट का दावा कर सकता है परन्तु, इसके लिये करदाता के पास भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है। ये छुट सामायिक भुगतान (30 जून से पुर्व भुगतान) के छुट के अतिरिक्त प्राप्त होगी।
- अगर वित्तीय वर्ष के देय सम्पत्ति कर का भुगतान 30 जून या उससे पहले किया जाता है तो देय सम्पत्ति कर पर 5% (पांच) छूट का दावा किया जा सकता है।

## क 7. ब्याज / पेनल्टी

वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर के बाद सभी भुगतान पर 1.5% शास्ति (दंड) वसूला जायेगा जो की वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर से प्रभावी माना जायेगा।

# **सम्पत्ति कर एवं रिक्त भूमि कर से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन**

**नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के  
पत्रांक-45/Reforms-13FC/2013-14/907**

**दिनांक- 31/12/2014**

# सम्पत्ति कर एवं रिक्त भूमि कर से संबंधित प्रावधानों में वित्तीय वर्ष 2013-14 में किये गये महत्वपूर्ण संशोधन :

क्र. सं.	कारक	पूर्व के प्रावधान	वर्तमान में लागु प्रावधान
1	सम्पत्ति कर की दर	वार्षिक किराया मूल्य का (i) 2.5% होल्डिंग (सम्पत्ति) कर (ii) 2% जल कर (iii) 2% मल कर (iv) 1.25% शिक्षा सेस (v) 1.25% स्वास्थ सेस	केवल सम्पत्ति कर जो कि वार्षिक किराया मूल्य के 9 से 15% के बीच होगी जो कि नगर निकायों द्वारा निर्धारित की जायेगी। परन्तु यह दर न्यूनतम सीमा 9% से कम नहीं होगी। (वर्तमान में यह दर अधिकाशं नगर निकायों में 9% हैं)
2	कर योग्य क्षेत्रफल की गणना	(i) कमरा एवं छतदार बरामदा के आंतरिक माप का 100% (ii) रसोई घर, स्टोर रूम, बालकोनी एवं गलीयारा के आंतरिक माप का 50% (iii) गैराज के आंतरिक माप का 25% (iv) स्नानघर, शौचालय, सीढ़ी घर एवं पोर्टिको को कारपेट क्षेत्र की गणना में शामिल नहीं किया जाता था	निर्मित क्षेत्र का (i) 70% अगर सम्पत्ति का उपयोग आवासीय हो (ii) 80% अगर सम्पत्ति का उपयोग गैर आवासीय हो

3	उपभोग	किराया पर सम्पत्ति या स्वं उपयोगित सम्पत्ति में कोई अंतर नहीं।	किराये पर दी हुई सम्पत्ति (आवासीय या गैर आवासीय जैसी भी स्थिति हो) को अब सामान्य कर से 1.5 गुना अधिक कर देना होगा।
4	कर की देयता	प्रत्येक 6 माह पर (1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर)	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल को देय।
5	कर निर्धारण	मांग आधारित ।	स्वकर निर्धारण आधारित ।
6	छुट	जून तक भुगतान करने पर 15% (विभागीय आदेश पत्रांक सं. 3533 दिनांक 27.08.2009)	जून तक भुगतान करने पर चालू वर्ष के देय कर पर 5% ।
7	दंड	1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक के कर का भुगतान 31 दिसम्बर के बाद करने पर 2% प्रति माह की दर से ब्याज अधिरोपित एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक देय कर का भुगतान 30 जून के बाद करने के बाद 2% प्रति माह की दर से ब्याज अधिरोपित (विभागीय आदेश पत्रांक सं. 3533 दि. 27.08.2009	चालु वित्तीय वर्ष के देय सम्पत्ति कर का भुगतान 30 सितम्बर के बाद करने पर अक्टूबर से 1.5% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज दंड के रूप में अधिरोपित किया जायेगा। आंशिक माह को पूर्ण माह मानकर ब्याज की गणना की जायेगी।

8	जल संचयन प्रणाली	छुट संबंधी कोई प्रावधान नहीं	यदि किसी सम्पत्ति में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धारणीय वर्षा जल संग्रहण तकनीक लगाया गया है तो कुल सम्पत्ति कर पर पांच प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी। यह छुट सामायिक भुगतान (30 जून से पूर्व भुगतान) के छुट के अतिरिक्त प्राप्त होगी।																									
9	मलिन बस्तियों (स्लम) के कच्चे मकान पर-छुट	छुट संबंधी कोई प्रावधान नहीं	मलिन बस्तियों में अवस्थित वैसी सभी झोपड़ियाँ या कच्ची आवासीय ईकाइयाँ, जिनका कुल प्लीन्थ क्षेत्र 250 वर्गफीट से कम हो सम्पत्ति कर से मुक्त रहेगी।																									
10	रिक्त भूमि कर करमुक्त		<p>रिक्त भूमि पर निम्न दरों पर कर अधिरोपित किया जायेगा</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>नगर निकाय</th> <th>प्रधान मुख्य सड़क (रु. प्रति वर्ग मीट्रो/प्रतिवर्ग फीट)</th> <th>प्रधान मुख्य सड़क (रु. प्रति वर्ग मीट्रो/प्रतिवर्ग फीट)</th> <th>प्रधान मुख्य सड़क (रु. प्रति वर्ग मीट्रो/प्रतिवर्ग फीट)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नगर निगम</td> <td>प्रति वर्ग मीटर 5.00</td> <td>प्रति कांडीट 0.46</td> <td>प्रति वर्ग मीटर 4.00</td> <td>प्रति कांडीट 0.37</td> <td>प्रति वर्ग मीटर 3.00</td> <td>प्रति कांडीट 0.28</td> </tr> <tr> <td>नगर परिषद्</td> <td>4.00</td> <td>0.36</td> <td>3.00</td> <td>0.28</td> <td>2.00</td> <td>0.19</td> </tr> <tr> <td>नगर पंचायत</td> <td>3.00</td> <td>0.28</td> <td>2.00</td> <td>0.19</td> <td>1.00</td> <td>0.11</td> </tr> </tbody> </table>	नगर निकाय	प्रधान मुख्य सड़क (रु. प्रति वर्ग मीट्रो/प्रतिवर्ग फीट)	प्रधान मुख्य सड़क (रु. प्रति वर्ग मीट्रो/प्रतिवर्ग फीट)	प्रधान मुख्य सड़क (रु. प्रति वर्ग मीट्रो/प्रतिवर्ग फीट)	नगर निगम	प्रति वर्ग मीटर 5.00	प्रति कांडीट 0.46	प्रति वर्ग मीटर 4.00	प्रति कांडीट 0.37	प्रति वर्ग मीटर 3.00	प्रति कांडीट 0.28	नगर परिषद्	4.00	0.36	3.00	0.28	2.00	0.19	नगर पंचायत	3.00	0.28	2.00	0.19	1.00	0.11
नगर निकाय	प्रधान मुख्य सड़क (रु. प्रति वर्ग मीट्रो/प्रतिवर्ग फीट)	प्रधान मुख्य सड़क (रु. प्रति वर्ग मीट्रो/प्रतिवर्ग फीट)	प्रधान मुख्य सड़क (रु. प्रति वर्ग मीट्रो/प्रतिवर्ग फीट)																									
नगर निगम	प्रति वर्ग मीटर 5.00	प्रति कांडीट 0.46	प्रति वर्ग मीटर 4.00	प्रति कांडीट 0.37	प्रति वर्ग मीटर 3.00	प्रति कांडीट 0.28																						
नगर परिषद्	4.00	0.36	3.00	0.28	2.00	0.19																						
नगर पंचायत	3.00	0.28	2.00	0.19	1.00	0.11																						

11	रिक्त भूमि छुट करमुक्त		<ol style="list-style-type: none"> <li>अगर मकान कुल भूमि(प्लाट) के 70% से अधिक में बना हैं तो शेष रिक्त भूमि कर मुक्त मानी जायेगी।</li> <li>भूस्वामी द्वारा भूमि अद्यग्रहण के दो वर्षों के अन्दर यह कर नहीं लगाया जायेगा।</li> </ol>
12	स्व कर निर्धारण	संबंधी कोई प्रावधान नहीं	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर उस वर्ष 1 अप्रैल को देय हो जायेगा। अतः प्रत्येक करदाता/सम्पत्ति के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वे किसी मांग सूचना कि प्रतीक्षा किय बिना अपने सम्पत्ति के सम्पत्ति कर का स्व-निर्धारण कर उनका भुगतान नगरपालिका को करें।</li> <li>यदि किसी सम्पत्ति का मालिक या करदाता संपत्ति कर के निर्धारण हेतु अनिवार्य तात्त्विक जानकारी को जान-बूझकर छूपा ले या संपत्ति कर का निर्धारण कम करा के दे तो वैसा व्यक्ति स्व-निर्धारण कर एवं वास्तव में भुगतेय कर की अन्तर राशि तथा उस पर एक सौ प्रतिशत शास्ति का दायी होगा।</li> </ol>

13 स्व कर निर्धारण अनिवार्य-घोषणा	कोई प्रावधान नहीं	<p>1. हर उस सम्पत्ति का स्वामी जिसकी सम्पत्ति का निर्धारण पूर्व में नहीं हुआ हो, इन नियमों के अधिसूचित (8-05-2013) होने के तीन माह के अंदर अपनी सम्पत्ति का स्व निर्धारण करते हुए सम्पत्ति कर कि गणना करेगा तथा सम्पत्ति कर का भुगतान करेगा।</p> <p>2. कोई करदाता विहित समय के अंदर नगरपालिका को धृति का स्व निर्धारण कर भुगतान करने में असफल रहता है तो आवासीय सम्पत्ति पर दो हजार रुपया (₹ 2000) और अन्य सभी सम्पत्तियों पर पांच हजार (₹ 5000) जुर्माना भुगतेय होगा।</p>
14 कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रावधान	बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड एंड रिकवरी एक्ट 1914 के अंतर्गत कार्टवाई की जा सकती थी।	<p>राजस्व वसूली हेतु नगर पालिका कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2014 के अंतर्गत निम्न कार्टवाई करने हेतु बाध्य है</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ नगर पालिका के सेवाओं को बंद करना</li> <li>➢ बैंक खाता और अन्य आर्थिक प्रपत्र की कुकीं</li> <li>➢ चल सम्पत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री</li> <li>➢ अचल सम्पत्ति की कुकीं और बिक्री</li> </ul>

# नगर निगम कठिहार

पावती रुक्षीद

अनुसन्धान

नगर निगम कठिहार परिषद् कार पंचायत

नई होलिंग संख्या

पुराना होलिंग संख्या

बूनिक्संसेति खातान संख्या (पी.आई.डी.)

वालिंग का नाम:

मुगातान की नई राशि (रु.) :

(इन्द्रो मे)

मुगातान का प्रकार : कैश / चैक / डीडी / ऑनलाइन भुगतान / अधिसूचित बैंक / नागरिक सुविधा केंद्र  
में मुगातान

(जो तागु हो कृपया उसे चिह्नित करें)

चेक / डीडी संख्या : ..... आहरित: ..... देय: .....

लेन-देन आईडी (नगद भुगतान / चैक / डीडी): .....

अधिकृत व्यक्ति के नाम : .....

हस्ताक्षर : ..... तिथि एवं मुहर: .....

## ताराकित (\*)

### होलिंगधारी (मकान मालिक) द्वारा प्रपत्र भरे जाने का सूचना

प्रपत्र पर अंकित है।

1. आकलन वर्ष.....
2. नया होलिंग संख्या.....  
पूराना होलिंग संख्या.....
3. वार्ड संख्या-..... राजस्व अंचल संख्या.....
4. यूनिक सम्पति पहचान सं.....
5. स्वामित्व का प्रकार।
6. स्वामित्व का विवरण।
7. सम्पति स्थिति।
8. वर्षा जल संचयन कि सुविधा उपलब्धता।
9. सम्पति का विवरण।
10. पत्राचार का पता।
11. सम्पर्क का विवरण।
12. भूखंड/भूमि का विवरण।
13. भवन का विवरण और टैक्स गणना।
14. टैक्स की गणना।
15. बकाया राशि का विवरण और उस पर ब्याज/दंड (1 जनवरी 2010 से प्रतिमाह @ 2% के दर से मार्च 2013 तक का बकाया राशि पर तथा वर्ष 2013-14 के कर का भुगतान सितम्बर 2013 तक नहीं करने पर 1 अप्रैल 2013 से @ 1.5% के दर से दण्ड)।
16. कुल देय राशि।
17. भुगतान का विवरण।